प्रेषक

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
चन्दौली

निशुल्क प्रकाशनार्थ

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक–2681–86/लेखा/निविदा प्रकाशन/2016–17/ दिनांक–10.11.2016

विषय–वित्तीय वर्ष 2016–17 में पशु पालन विभाग जनपद चन्दौली में बहुद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएं (राज्य योजना) अन्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्मो से वाहन चालकों की ब्यवस्था के सम्बन्ध में निविदा के पुनः प्रकाशन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक प्रशासन एवं विकास पशु पालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 484/सा0–एफ/एक्स–84(120) बहु0स0प0चि0से0/2016–17 दिनांक–30.09.16 द्वारा जनपद अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालयो पर ब्यवस्थित किये जाने वाले सचल पशु चिकित्सा वाहनों के परिचालन हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्मो से निविदा आमंत्रित कर चालको की ब्यवस्था की जानी है।

जिसके सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन हेतु विवरण संलग्न कर इस कार्यालय के पत्र संख्या 2421–24/लेखा/निविदा प्रकाशन/2016–17/ दिनांक–17.10.16 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसके कम मे दिनांक–23.10.16 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था परन्तु निविदा की प्रकिया निर्धारित तिथि पर पूर्ण न होने के कारण पुनः निविदा आमत्रित किये जाने की आवश्कता है।

अतः आप से अनुरोध है कि पुनः अल्पकालीन निविदा आमत्रित करने हेतु वाराणसी/चन्दौली से प्रकाशित होने वाले 3 दैनिक समाचार पत्रो में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 बी0पी0 पाठक)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
चन्दौली

पत्रांक–2681-86 /तद्दिनांकित

प्रतिलिपि –निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–जिला सूचना अधिकारी जनपद चन्दौली को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रकाशन में अपने स्तर से सहयोग प्रदान करते हुए प्रकाशित होने के उपरान्त सूचित करने के सम्बन्ध में।

2–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चन्दौली को जनपद चन्दौली के वेबसाईट पर उक्त निविदा आमत्रित किये जाने के सम्बन्ध में अपलोड करने हेतु।

3–अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग वाराणसी मण्डल वाराणसी।

4–संयुक्त निदेशक, रोग नियत्रंण एवं प्रक्षेत्र, पशु पालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5–निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशु पालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
चन्दौली

निशुल्क प्रकाशनार्थ

अल्पकालीन निविदा

1--जनपद चन्दौली अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालयों पर व्यवस्थित किये जाने वाले सचल पशु चिकित्सा वाहनों के परिचालन हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्मों से निविदा आमत्रित कर चालकों की व्यवस्था की जानी है, जिसके लिए निविदा प्रपत्र रूपया पॉच सौ (500) मात्र नगद भुगतान कर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सम्बन्धी प्रात्रता व शर्तों की जानकारी एवं विकास खण्ड की सूची भी कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

2–निविदा प्रपत्र जनपद चन्दौली के वेबसाईट chandauli.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड निविदा प्रपत्र की स्थिति में प्रति निविदा प्रपत्र रूपया पॉच सौ (500) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जनपद चन्दौली के पक्ष में एवं जनपद चन्दौली में देय हो, निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड़ के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापस नही किया जायेगा, जिसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

3–निविदा प्रपत्र दो भागों में निर्धारित प्रारूपों कमशः (अ) तकीनीकी विड एवं (ब) वित्तीय विड् पर आधारित होगी। दोनो विड अलग–अलग मोहर बन्द लिफाफे में निविदा के साथ जमा करना होगा, और इन लिफाफों पर कमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इन दोनो निविदा प्रपत्रों को बड़े लिफाफे जिस पर बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएं योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र अंकित हो में रखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय चन्दौली में जमा करना अनिवार्य होगा।

निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव निविदा प्राप्त करनें की तिथि से 31 मार्च 2017 तक मान्य होगी। निविदा को स्थगित करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। विकय की अन्तिम तिथि तक निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है, निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 29.11.2016 समय 12 बजे तक होगी तथा उसी दिन अपरान्ह 3 बजे निविदा खोला जायेगा।

भवदीय

(डा0 बी0पी0 पाठक)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
चन्दौली

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

बक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
(जनपद--झांसी/जालौन/ललितपुर/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 484 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2016-17, दिनांक 30.09.2016

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) अन्तर्गत आउट सोर्सिग के माध्यम् से सेवा प्रदाता फर्मो से निविदा आमंत्रितकर वाहन चालकों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया पशुपालन विभाग अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध स्टैटिक पशुचिकित्सा सेवाओं का विस्तार एवं विद्यमान आर्थिक संसाधनों के आधार पर प्रत्येक विकासखण्ड स्तर के पशु चिकित्सालय पर बहुउद्देश्शीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं की स्थापना कर पशुचिकित्सा का सुदृढ़ीकरण करते हुये पशुपालकों को अपेक्षित लाभ पहुँचाया जाना है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप के साथ-साथ कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजना प्रारम्भ की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदों में विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर सचल पशुचिकित्सा वाहनों को उपलब्ध/व्यवस्थित किया जाना है। योजनान्तर्गत जनपदों के विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर व्यवस्थित किये जाने वाले सचल पशुचिकित्सा वाहनों के परिचालन हेतु आऊट सोर्सिग के माध्यम् से सेवा प्रदाता फर्मो से निविदा आमंत्रितकर वाहन चालकों की व्यवस्थाकर योजना के वाहनों का परिचालन किया जाना है। योजना में वर्तमान में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत वाहनों के क्रय आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, अतिशीघ्र आपके जनपद को समानुपातिक रूप से आबंटित/उपलब्ध करा दिये जायेगें।

बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना)-योजना उत्तर प्रदेश सरकार के विकास एजेण्डा वर्ष 2016-17 में सूचीबद्ध है।

आऊट सोर्सिग के माध्यम् से सेवा प्रदाता फर्मो से निविदा आमंत्रितकर वाहन चालकों की व्यवस्था किये जाने हेतु मॉडल के रूप में निविदा-प्रपत्र संलग्नकर

Multy Mob Vet Clin

548
22-10-16

आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका उपयोगकर निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही सुनिश्चित् करें। उक्त निविदा-प्रपत्र के विलेख में यदि कोई संशोधन नियमानुसार आवश्यक समझें तो संशोधित विलेख पर जिला शासकीय अधिवक्ता से परामर्श कर सकते हैं।

अतः योजना के समयबद्ध/सुचारुरूप से संचालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपलब्ध कराये जा रहे निविदा-प्रपत्र के मॉडल, वर्तमान में लागू श्रम अधिनियम(Labour Act) एवं श्रम विभाग, उ0प्र0 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत निर्गत अद्यतन शासनादेश का संज्ञान लेते हुये आऊट सोर्सिंग के माध्यम् से सेवा प्रदाता फर्मों से निविदा आमंत्रितकर उपयुक्त फर्म का चयन करते हुये प्रति वाहन चालक की पारिश्रमिक दर के निर्धारण की कार्यवाही 01-माह के भीतर करना सुनिश्चित् कर लें, जिससे वाहनों की उपलब्धता के साथ ही इनके परिचालन हेतु वाहन चालकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित् हो जाय एवं योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब न हो। सचल पशुचिकित्सा वाहनों के परिचालन हेतु आवर्ती मदों में जनपदों को धनराशि अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

संलग्नकः-मॉडल निविदा-प्रपत्र की प्रति।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2016-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि,

प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-2078(1)/सैतीस-2-2016, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

कार्यालयः मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद— चन्दौली

निविदा—सारिणी

निविदा प्रकाशन की तिथि	दिनांक 16 11 2016
प्री—बिड् कान्फ्रेन्स की तिथि	दिनांक 25-11-2016
निविदा जमा करने की तिथि	दिनांक 29-11-2016 समय 12 बजे तक
निविदा के खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 29-11-2016 समय 03 बजे
निविदा खोलने का स्थान	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद— चन्दौली
पत्राचार का पता	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद— चन्दौली
विकास खण्ड का नाम	1- सदर-चन्दौली, 2- सकलडीहा, 3- धानापुर 4- बरहनी 5- नियमताबाद, 6- चहनिया 7- शहाबगंज 8- चकिया 9- नौगढ़
चालक की संख्या - 80%.	07